File No. 14039/81 /2013-UTS.I Government of India Ministry of Home Affairs UTS-I Desk

North Block, New Delhi-110001 Dated the 17 December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta Tehsil & District Meerut Uttar Pradesh

Sub: Application under RTI Act, 2005-Regarding

Sir,

Please refer to your RTI application dated 27.09.2013 (received in UTS.I, MHA desk on 09.12.2013 vide letter No. A.42012/81/2013-Ad.II dated 03.12.2013 forwarded by AD.II section of MHA)

- 2. Since the matter doesn't pertain to this section, the information in r/o UTS-I desk, MHA may be treated as NIL.
- 3. The name & designation of 1st Appellate Authority is as follows:-

Shri I. S. Chahal Joint Secretary (UT) Ministry of Home Affairs North Block, New Delhi-110001

Yours faithfully,

(Anuj Sharma) Director(S) and CPIO

Tel: 23092436

Copy to:

Sh. V K Rajan, Deputy Secretary(E) & CPIO ,MHA, North Block,New Delhi.

0/

Date 16 12 13



Dy No. 9/12/13

File No.A.42012/81/2013-Ad.II Government of India / Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3rd December, 2013

To

Ms. Rubi Sharma
D/o Shri Ashok Kumar Sharma
R/o Rasulpur Rohta
Tehsil & District Meerut
UTTAR PRADESH

Subject:-

Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur

Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 - reg.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajbal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

- 2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.
- 3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001, (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours fathfully.

Deputy Secretary (E) & CPIO Tel.No.2309 4376

Copy to:-

All CPIOs in Divisions of MHA [except Admn. Division, Dir (Pers)/DS (Pers).] — with enclosures.

RTI Cell – with reference to their OM cited above.

[V.K. RAJAN] Deputy Secretary (E) & CPIO

M-J.8h

e liture

आर टी आई सामला/सम

स. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार गह मंत्रालय

· 编并对ALALT 10. 10.667-H 18am 11 11 2013

नई दिल्ली, दिनाक : 29 10 |

कार्यालय राएन

विषय : स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्रीश्रीमती/सुश्री... ু বিষয় কা आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचुना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के सवध<u>में श्रोश्रीमती/मुश्री **ोर्डी देश्रि** के दिनांक देते (</u>ने 12013 के आवेदन (इसू-मंशुलय . से अंतरण द्वारा दिनाक: 01 /10 /2013 को प्राप्त) को प्रेरेशिया प्रिमार्ग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मागी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलामों से संबंधित हैं/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक:... 7. / 10. / 2013 की रसींद सं 27090 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सवा म

(१) निर्देश का त्यांत्रिका शृष्ट मन्यालम, नांधी कलांका, नांडी फिल्ली
(३) उपसाचेन क्यांत्रिका, अट मन्यालम, नांधी कलांका, नांडी फिल्ली
(३) अनिभाग आयोगारी (प्रशासना) अट मन्यालम, नांधी कलांका, नांडी फिल्ली
(४) अनुभाग अविभागी (प्रशासना) अट मन्यालम नांधी कलांका, नांडी फिल्ली
प्रांते स्वनार्थ प्रेषित: (5) अहुआंग क्यांकी कांगी (प्रडाह्मा ए)), अट मन्यालम, नांधी कलांकी श्रीश्रीमती/सुश्री के बी यामी (प्रज्ञी भी अब्रोक कुमार)

शाम- श्रम्लाप रेहरा, तहसील + जिला - मेरठ

मेरठ - उत्तर पुदेश न हाराष्ट्राम्हा, जे विस्ती कालाना, ग्राम नव-2, अमारखं, भरेठ

> (उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक न्चना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

श्री मान् जन सूचना अधिकारी/सचिव गृह मत्रांलयं

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

विषयः - जन सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत सूचना पृण्टत करने

हेतु :-

१।१- पुश्न:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा गाम रसूलसूर रोहटा तह० व जिला मेरत में स्थित भूमि खसरा संख्या - 45, खसरा संख्या - 5543, ब 556ब, व स्तरा संख्या- 557 व , 554ब क्या विवादित जमीन है ,और मुकदमा कोर्ट में विच तराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आएके विभाग में कार्यरत पुभारी निरिधिक अधिकारी नरेश चन्द्र शमा पूत्र स्वः सूरणबल शर्मा के माध्यम से पुका शित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र भागा ने इस सूचना को पुका भित कर यह भानित पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना पृका शित की गयी है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावें।

१२१ यदि आपके मस्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्माको इस सन सूचना को पुका भात करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंनें गृह मनत्रालय भारत सरकार , आदा से , सूचना पृकािषात कर अपने पद का दुल्पयोग कर भानित जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावें, तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावें। जिसके सन्बन्ध में जबाव हारा पृथ्वि को सूचित Russy Exorens.

क्या जावें।

可到新:-----2

हु 3हुं - यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साद्ध्य मांगे जावे कि उपरोक्त विणित जमीन कैसे विवादित है । और किस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिध्या तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना पृकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण किया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की जावे । की सूचना अवितिम्ब पार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्राधीनि को उत्तर प्रैषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- **2**6-09-2013

सँतग्नक:=

।— पोेेे आेेे अंकन ।०/-रू॰ सं॰-।७ F-841722 दिनांक :- 27/9|13 ′ प्राधन।

रिजेश
स्वी झर्मा पुत्री श्री अझारेक कुमार भामा
नि॰ ग्राम रसूलपुर रोहटा ,पर० तह० व
जिला मेरठ। हाल पता- ६। जे॰ तुलसी
कालौनी, गली नं॰-2, कंकरखेडा, मेरठ।

2- सूचना जन साधारण के प्रकाशन बोर्ड की प्रोटी।